आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ

अपील सं. 93/2017 धारा 225 आर.टी.एक्ट मखनसिंह आदि बनाम परमेश्वरी बाई आदि

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसाारित पत्रांक एवं दिनांक
20.06.19	वकील अपीलांट्स उपस्थित। रेस्पों. की ओर से श्री राकेश मनचन्दा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा साथ ही इस आशय का प्रा.पत्र पेश किया कि उक्त अनवान की अपील में अंकित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व में इन्हीं पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 45/2017 अनवान मखनसिंह आदि बनाम परमेश्वरी आदि में दिनांक 20.04.2017 को निर्णित हुई होने के कारण अपीलाट्स द्वारा प्रस्तुत इस उक्त अनवान की अपील को निरस्त किया जावे। अपीलांट्स द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 13.02.2017 प्र.सं. 115/2015 बअनवान मखनसिंह आदि बनाम परमेश्वरी आदि के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त आदेश के द्वारा अधी. न्यायालय ने पर्वू इकतरफा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.06.2015 व स्थगन प्रा.पत्र प्रार्थीगण निरस्त किया गया है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा.पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 13.02.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 06.06.17 को पेश की। इस अपील में दिनांक 23.06.2017 को इस न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दिया गया कि आगामी आदेश तक उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के प्र. सं. 115/15 बअनवान मखनसिंह आदि बनाम परमेश्वरी बाई आदि निर्णय दिनांक 13.02.2017 में वर्णित भूमि को रहन, बैय द्वारा अन्तरण न करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ

अपीलांट्स ने अपने अपील मीमों में यह अंकित किया है कि अपीलाधीन आदेश एक तरफा तौर पर पारित किया गया है। अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2017 को बिना किसी उचित कारण के अपीलांट्स के पक्ष में किया गया स्थगन आदेश निरस्त कर दिया। अपीलांट्स ने अपने अपील में यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपने प्रस्तुत प्रा.पत्र में यह अंकित किया है कि अपीलांट्स ने इस न्यायालय के समक्ष पूर्व में इस अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध दिनांक 10.03.2017 को अपील पेश की थी जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2017 को निर्णय पारित किया जा चुका है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने प्रा.पत्र में यह भी अंकित किया है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के उपरांत भी जानबूझकर धोखे से पुनः उक्त अनवान की अपील प्रस्तुत की है जोकि गलत एवं विधि विरूद्ध है। इसके साथ विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने प्रा.पत्र में यह भी अंकित किया है कि अपीलाधीन आदेश की पूर्व अपील सं. 45/2017 में दिनांक 20.04.2017 को निर्णय पारित किये जाने एंव अपीलांट्स द्वारा जालसाजी कर सही तथ्य छिपाते हुए पुनः अपील किये जाने के कारण इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने का न्यायहित में आदेश फरमाने का कष्ट करे।

पत्रावली के अवलोकन एवं रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र से इस बात की तस्दीक होती है कि अपीलांट्स ने अपनी अपील में पूर्व में प्रस्तुत अपील सं. 45/2017 बअनवान मखनसिंह आदि बनाम परमेश्वरी आदि निर्णय दिनांक 20.04.2017 में हुए निर्णय का कोई उल्लेख नहीं किया है। यह प्रकरण रेस्ज्यूडीकेटा से प्रभावित है। अपीलांट्स ने अन्य न्यायालय में अपील न कर पुनः अपीलाधीन आदेश की अपील इस न्यायालय में तथ्यों की जानकारी छुपाकर पेश की है जोकि न्यायिक प्रकिया का दूरूपयोग है। स्वयं विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने इस तथ्य से

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़

इन्कार नहीं किया तथा स्वीकार किया कि मुझे पूर्व अपील के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी।

लिहाजा इसी स्तर पर यह अपील निरस्त की जाती है। अपीलांट्स को न्यायालय के समय का दुरूपयोग एवं तथ्यों को छुपाने पर राशि $5000/-$ रूपये की कोस्ट लगाई जाती है तथा कोस्ट राशि रेस्पोडेन्ट्स को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णित पत्रावली नम्बर से होकर अभिलेखागार में जमा हो। निर्णय की प्रति अधी. न्यायालय एवं राजकीय अभिभाषक को भिजवायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़